

प्रेषक,

जे.पी. जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

✓ सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

मानव संसाधन विकास विभाग।

देहरादून: 10 सितम्बर, 2001

विषय: सिन्धिया स्कूल, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

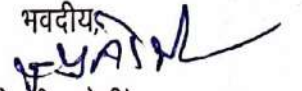
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, सिन्धिया स्कूल, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

क्रमशः2

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

- 1- कक्षाओं, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
अनु सचिव।

संख्या (1) 16(25)/99/2001मा0सं0वि0/ तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
- 4- प्रबन्धक, सिन्धिया स्कूल, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 5- अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे. पी. जोशी)
अनु सचिव।